जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

> समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
> सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।

ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांकःएफ/सम्बद्धता/2009/ 2010 दिनांकः 05/07/10

प्रति,

प्राचार्य/प्राचार्या/अधिष्ठाता,
समस्त सम्बद्ध शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय/संस्था,
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

विषयः सत्र 2010-11 का वार्षिक सम्बद्धता शुल्क जमा करने बावत्।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि परिनियम 27 की धारा 13 उपधारा (3) (ii) के अंतर्गत विश्वविद्यालय से संबद्ध प्रत्येक महाविद्यालय या संस्था द्वारा विश्वविद्यालय को वार्षिक संबद्धता शुल्क जमा किया जाता है। इस संदर्भ हेतु परिनियम 27(13)(3)(ii) का प्रावधान निम्नानुसार अंकित हैः-

1. प्रत्येक महाविद्यालय अथवा संस्थान को यह अवसर प्राप्त होगा कि वह अपनी सम्बद्धता निरन्तर बनाये रखने हेतु वार्षिक सम्बद्धता शुल्क निम्न दरों के आधार पर विश्वविद्यालय में जमा करावेगें।

2. स्नातक उपाधि, पाठ्यक्रम के लिये प्रत्येक संकाय हेतु व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को छोडकर रूपये 5000/-

   व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के स्नातक उपाधि पाठ्यक्रमों के लिये प्रति संकाय रूपये 8000/- ऐसे महाविद्यालयों/संस्थानों में जहाँ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिये सम्बद्धता भी चाहिये वहाँ निम्नानुसार अतिरिक्त शुल्क जमा करनी होगी।

   प्रत्येक विषय के लिये रूपये 5000/- तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिये रूपये 10,000/- परन्तु यदि ऐसे महाविद्यालय/संस्थान जो जिला स्तर से नीचे वाले नगरों में स्थित होगें वहाँ उपरोक्त शुल्क का 50 प्रतिशत ही जमा करने होगे।

3. यदि वर्णित सम्बद्धता शुल्क निर्धारित तिथियों जमा नही होगी, उस महाविद्यालय/संस्थान की सम्बद्धता वापिस की जा सकेगी।

   परन्तु कुलपति की अनुमति के बाद उपरोक्त शुल्कों के सहित 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क के साथ तीन महीने की अवधि के भीतर जमा की जा सकेगी।

परिनियम के उक्त प्रावधान के अनुसार सम्बद्धता शुल्क की राशि दिनांक 31.7.2010 तक प्राप्त हो जाना चाहिये।

अतः आपसे निवेदन है कि अपने महाविद्यालय से सम्बद्ध संकायों एवं विषय के अनुसार निर्धारित शुल्क दिनांक 31.7.2010 के पूर्व इस कार्यालय को भिजवाने की कृपा करें। यदि समय सीमा के अन्तर्गत सम्बद्धता शुल्क प्राप्त नहीं होता है तो परिनियम 27(13)(3)(ii) अन्तर्गत सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
कुलसचिव